UPBS010029402026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी० प्रथम), बस्ती

पीठासीन अधिकारी– (SRI VIRAT SHIROMANI), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01869**

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–906/2026

अरूण कुमार राजभर पुत्र रामसुरेश राजभर

निवासी आराजीडूही धर्मूपुर मुस्तहकम थाना दुबौलिया जिला बस्ती।

..... **अभियुक्त/आवेदक।**

बनाम

राज्य उ०प्र०।

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–61/2026,
धारा–87, 69 बी.एन.एस.
थाना –दुबौलिया, जिला बस्ती।

दिनांक :–25.06.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/आवेदक अरूण कुमार राजभर की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–61/2026, अन्तर्गत धारा–87, 69 बी.एन.एस. थाना–दुबौलिया, जिला बस्ती में द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक, इस प्रकार है कि प्रार्थिनी गूड्डन देवी पत्नी आशाराम ग्राम आराजी डूही धरमूपुर मुस्तहकम पोस्ट व थाना दुबौलिया जपनद बस्ती की निवासिनी है प्रार्थिनी की लड़की नाबालिग कु० प्रियंका उम्र लगभग 15 वर्ष को हमारे घर के सामने रहने वाला अरूण कुमार राजभर पुत्र राम सुरेश दिनांक 15.04.2026 को समय लगभग सुबह 4.00 (चार बजे) बहला फुसलकर शादी करने के लिए भगा ले गया है।

3– आवेदक/ अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी बेगुनाह व बेकसूर है महज रंजिशन जेरवार करने की गरज से फसाया गया है। प्रार्थी मजदूरी के सिलसिले में दिनांक 23.03.26 को बस्ती से रेलवे टिकट से कोटापुरम जंक्शन जिला श्रीसर (केरल प्रदेश) के लिए ट्रेन से गया था, प्रार्थी दिनांक 26.03.26 को पहुंचा था। प्रार्थी वहां बैक बेरी (बेकरी की फैक्ट्री) में दिनांक 28.03.26 से लगातार दिनांक 30–04.26 तक ड्यूटी किया था। प्रार्थी पुनः ट्रेन से दिनांक 01.05.26 को बस्ती के लिए ट्रेन से वापस दिनांक 03.5.26 को पहुंचा था। प्रार्थी के पास ट्रेन के आने तथा जाने के टिकट की फोटो प्रति है तथा प्रार्थी द्वारा किए गए ड्यूटी के हाजिरी रजिस्टर की फोटो कॉपी भी दिनांक 28.03.26 से दिनांक 30.04.26 तक का प्रार्थी अपने व्हाट्सएप पर मंगवाया था, जिसको निकालकर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। प्रार्थी जब वापस घर पहुंचा तब पता चला कि प्रार्थी के

Digitally signed by VIRAT SHIROMANI
Date: 2026.06.29 08:13:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरुद्ध श्रीमती गुड्डन पत्नी आशाराम निवासी ग्राम आराजीडूही धर्मपुर मुस्तहकम ने एक फर्जी मुकदमा धन वसूलने के लिए अपराध संख्या 61 / 2026 तारीख घटना दिनांक 15.04.26 सुबह 4.00 बजे का दिखा करके अपनी बेटी प्रियंका को भागने कोलका आरोप लगा करके धारा 137(2) व 87 बी०एन०एस. का दर्ज करवाया है बाद में लड़की की झूठी बरामदगी के बाद विधिक राय से दिए बयान 180, 183 बी०एन०एस०एस० के बाद धारा 137 (2) बी.एन.एस. विलोपित करके धारा 69 वी.एन.एस. बढाया गया है जबकि प्रार्थी घर से ट्रेन द्वारा दिनांक 26.03.26 को गया था दिनांक 28.03.26 को जिला श्रीसुर पहुंचा था तथा दिनांक 28.03.26 से दिनांक 30.04.26 तक ड्यूटी बैकवेरी बेकरी में किया था, तथा प्रार्थी का घर वापस ट्रेन टिकट दिनांक 01.05.26 को चला बस्ती दिनांक 03.05.26 को पहुंचा था तथा कथित घटना के समय प्रार्थी श्रीसुर जिला केरल प्रदेश में था। प्रार्थी ने दिनांक 7.05.26 को न्यायालय में अपने विरुद्ध साजिश के तहत दर्ज कराए गए मुकदमे के बारे में आख्या मंगवाने का निवेदन किया था तब थाने से 8.05.2026 को प्रार्थी के विरुद्ध धारा 87, 69 बी. एन. एस. में वाछित होने की रिपोर्ट आई है जिसकी फोटो कॉपी तथा प्रार्थना पत्र की प्रमाणित काफी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित कापी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। प्रार्थी घर से श्रीसुर केरल जाने के बाद अपने दोस्त अशोक राजभर के फोन नंबर 6306509525 से दिनांक 26.03.26 से दिनांक 7.04.26 तक बात करता था। प्रार्थी ने दिनांक 8.04.26 को मोबाइल नंबर 7012769738 से घर पर तथा रिश्तेदारों से अब तक बात कर रहा है। प्रार्थी तथा कथित घटना के समय घर पर नहीं था तथा प्रार्थी के मोबाइल का लोकेशन (सी.डी.आर.) निकाल करके स्वच्छ विवेचना हेतु विवेचक को निर्देश देने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.26 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बस्ती को रजिस्टर्ड डाक से तथा ऑनलाइन भी भेजा था किंतु विवेचक महोदय श्रीमान पुलिस अधीक्षक बस्ती के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रार्थी को गिरफ्तार करके जेल भेजने हेतु तरह–तरह का दबाव बना रहे हैं तथा मेरे पूरे परिवार को पुलिस वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जैसा की जमानत प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये विवरण से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा किया गया अपराध धारा 482 (4) बी०एन०एस०एस० की परिधि में नहीं आता है। प्रार्थी को ग्राम प्रधानी की रंजिश में वर्तमान प्रधान ने थाना दुबौलिया पर दबाव बना करके मुकदमा दर्ज करवाया है क्योंकि प्रार्थी गांव के हारे हुए प्रधान प्रत्याशी का समर्थक सपरिवार रहता है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी मजदूर पेशा व्यक्ति है मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी सम्मानित परिवार का है प्रार्थी के मफरूरी की रंच मात्र आशंका नहीं है। प्रार्थी जमानत पाने के बाद बगैर न्यायालय को सूचना दिए देश के बाहर नहीं जाएगा। प्रार्थी न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों का पालन करेगा। विवेचक को जब भी प्रार्थी की आवश्यकता होगी प्रार्थी विवेचना में सहयोग करेगा। अतः निवेदन किया गया कि उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किया जाय।

4– विद्वान ए०डी०जी०सी० (फौजदारी) का तर्क है कि मामला धारा 87, 69 बी.एन.एस. से संबंधित है, मामला गम्भीर प्रकृति का है, जमानत दिये जाने पर अभियुक्त जमानत में सहयोग नहीं करेगा, फरार होने की सम्भावना है।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मैंने विस्तारपूर्वक सुना तथा तलबशुदा केस डायरी का परिशीलन किया।

6– अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष को दिनांक 15.04.2026 को समय लगभग सुबह 4.00 (चार बजे) बहला फुसलकर शादी करने के लिए भगा ले गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त/ आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण है। पीड़िता द्वारा धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान दिया गया है कि "दिनांक 15.04.2026 को सुबह चार बजे को मैं बस्ती रेलवे स्टेशन पर गयी थी अरूण ने बोला था कि तुम बस्ती आ जाओ तुमको केरल लेकर चलुगा और तुमसे शादी करूंगा। अरून को मैं एक साल से जानती हूं, वह हमारे गावं का है मैं उससे प्यार करती हूं, इससे पहले मैं उसके साथ 22.03.2026 को केरल गयी थी वहाँ दो दिन थी हमारे बीच सम्बन्ध बना था मेरी मर्जी से बना था उसने कहा था कि वह मुझसे शादी कर लेगा इसलिए सम्बन्ध बनाया था। केरल से वह मुझे बस्ती तक छोडने आया। दिनांक 15.04.2026 को उसी ने फोन किया कि तुम बस्ती रेलवे स्टेशन बुलाया और कहा कि मैं केरल ले जा के तुमसे शादी कर लूंगा। मैं रेलवे स्टेशन पर गयी पर वह नही आया और उसका फोन स्वीचआफ बता रहा था।" हस्तगत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

7– उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार न करते हुए तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का मत है कि अभियुक्त/आवेदक अरूण कुमार राजभर द्वारा अग्रिम जमानत हेतु लिये गये आधार पर्याप्त नही हैं। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक अरूण कुमार राजभर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक –25.06.2026

(विराट शिरोमणि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–प्रथम, बस्ती।
जे०ओ०कोड– 1869